

1. k.k foHkkx

dk; kly; Oku u0& 239743
dk; kly; d{k l a; k& 27] i fke ry
b&esy vkbDMh0& dswohdr@gmail.com

foHkkx }kjk tul keku; graq l pkfyr tudY; k.kdkjh ; kst ukvka dk l f{klr i fjp;

1%&o}koLFkk i dku%& इस योजना के अन्तर्गत ऐसे वृद्धजन जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो तथा गरीबी की रेखा से नीचे अथवा समस्त श्रोतो से मासिक आय 4000/प्रतिमाह से अधिक न हो, को रू0 800 प्रतिमाह की दर से पेंशन भुगतान किया जाता है। जनपद में वित्तीय वर्ष 2014-15 में वर्तमान में कुल 60420 लाभार्थियों को भुगतान किया गया है।

2%&fodyka i dku%& इस योजना के अन्तर्गत नेत्रहीन मूकबधिर एवं अंगो के विकलांग जिनका विकलांगता 40 प्रतिशत हो एवं गरीबी की रेखा से नीचे अथवा समस्त श्रोतो से मासिक आय 4000/प्रतिमाह से अधिक न हो, को रू0 800 प्रतिमाह की दर से पेंशन भुगतान किया जाता है। जनपद में वित्तीय वर्ष 2014-15 में वर्तमान में कुल 8008 लाभार्थियों को भुगतान किया गया है।

3%&fdl ku i dku%& इस योजना के अन्तर्गत ऐसे व्यक्ति जिनके पास 2 हेक्टेयर से नीचे कृषि भूमि हो अथवा स्वयं की भूमि में वर्तमान में खेती करता हो, को रू0 800 की दर से प्रतिमाह दर से पेंशन भुगतान किया जाता है। जनपद में वित्तीय वर्ष 2014-15 में वर्तमान में कुल 853 लाभार्थियों को भुगतान किया गया है।

4%&xkj knsh dl; k/ku ; kst uk:- इस योजना के अन्तर्गत ऐसे बालिकाये जिन्होंने वित्तीय वर्ष में इन्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा गरीबी की रेखा से नीचे अथवा समस्त श्रोतो से ग्रामीण क्षेत्र में वार्षिक आय रू0 15976/ तथा शहरी क्षेत्र में रू0 21206 उच्च शिक्षा प्रोत्साहन हेतु रू0 50000.00 एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 के माध्यम से बालिकाओं को अनुदान दिये जाने का प्राविधान है। जनपद में वित्तीय वर्ष 2014-15 में वर्तमान में कुल 1141 बालिकाओं को भुगतान किया गया है।

5%&vuqtfr 0; fDr; ka ds i qh "kknh vuqku ; kst uk :-इस योजना के अन्तर्गत ऐसे अनु0जाति के पुत्रियों के शादी अनुदान हेतु तथा गरीबी की रेखा से नीचे अथवा समस्त श्रोतो से मासिक आय रू0 1000 के अन्तर्गत शादी हेतु रू0 50000.00 अनुदान के रूप में दिये जाने का प्राविधान है। जनपद में वित्तीय वर्ष 2014-15 में वर्तमान में कुल 945 लाभार्थियों को भुगतान किया गया है।

6%&vVy vkokl ; kst uk :-इस योजना के अन्तर्गत ऐसे अनु0जाति व्यक्ति जो आवासविहीन हो तथा गरीबी की रेखा से नीचे अथवा समस्त श्रोतो से मासिक गरीबी की रेखा से नीचे अथवा समस्त श्रोतो से ग्रामीण क्षेत्र में वार्षिक आय रू0 15976/ तथा शहरी क्षेत्र में रू0 21206 अन्तर्गत अटल योजना हेतु

रु0 35000.00 अनुदान के रूप में दिये जाने का प्राविधान है। जनपद में वित्तीय वर्ष 2014-15 में वर्तमान में कुल 93 लाभार्थियों को भुगतान किया गया है।

7%&i fjkfjd ykHk ;kstuk:- इस योजना के अन्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे अथवा समस्त श्रोतों से मासिक गरीबी की रेखा से नीचे अथवा समस्त श्रोतों से ग्रामीण क्षेत्र में वार्षिक आय रु0 15976/ तथा शहरी क्षेत्र में रु0 21206 अन्तर्गत पारिवारिक लाभ योजना हेतु रु0 2000.00 अनुदान के रूप में दिये जाने का प्राविधान है। जनपद में वित्तीय वर्ष 2014-15 में वर्तमान में कुल 533 लाभार्थियों को भुगतान किया गया है।

8%&n'kekRrj Nk=ofRr:- इस योजना के अन्तर्गत अनु0जाति/पिछडीजाति/अनु0जनजाति के छात्र/छात्राओं को कोर्स हेतु फीस/छात्रवृत्ति अनुदान के रूप में दिये जाने का प्राविधान है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में वर्तमान में अनु0जाति में 15688 अनु0जनजाति में 803 तथा पिछडी जाति में 6077 छात्र/छात्राओं को भुगतान किया गया है।

9%&i dh'ke Nk=ofRr:- इस योजना के अन्तर्गत अनु0जाति/पिछडीजाति/अनु0जनजाति के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति अनुदान के रूप में दिये जाने का प्राविधान है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में वर्तमान में अनु0जाति में 81944 अनु0जनजाति में 12517 तथा पिछडी जाति में 6782 छात्र/छात्राओं को भुगतान किया गया है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
हरिद्वार